

डिक्री व मुकदमें ईव्लदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 448/2024

दिश्वजीत जोशी पुत्र हंसराज जाति ब्राहमण निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. हंसराज पुत्र बृजलाल जाति ब्राहमण निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नई धान मण्डी सादुलशहर
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण



यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिरमि कर्तई रूबरू हमारे बहाजरी श्री हनुमन्त चौधरी वकील वादी भिन जाकिन मुदई श्री विवेकानन्द मुर्जर वकील प्रतिवादी संख्या 1 भिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है और तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि नियमानुसार 2000/- रूपये की स्टाम्प ड्यूटी राजकोष में जमाकरवाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 7 आईडीजी खाता संख्या 136/61 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 मे दर्ज कृषि भूमि मे से वादी को 0.634 है नहरी मय गै.मु. भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किया जाकर वादी का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:-

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
126/121	22	4/5/0.114, 4/6/0.012, 5/1/0.190, 5/2/0.025, 5/3/0.038, 6/1/0.215, 6/2/0.038 कुल 0.634 है. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खाला सहित कृषि भूमि

नोट:- वादग्रस्त आराजी बैंक रहन मुक्त होने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज नल मुब्लिक निल बाबत निल 100/- खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक अदा करें।
वसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.3.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया